श्री उपेन्द्र नारायण उराँव एवं हलधर महतो, सदस्य राज्य खाद्य आयोग का कोडरमा जिला का भ्रमण प्रतिवेदन।

दिनांक 18.9.2019 एवं 19.9.2019

दिनांक 18.09.2019

कोडरमा परिसदन में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन के प्रतिनिधि के साथ समीक्षात्मक बैठक।

उपस्थित सभी अधिकारियों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अर्न्तगत आने वाली योजनाओं, जन वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा आंगनबाड़ी केन्द्र से गर्भवती महिलाएं एवं 6 साल तक के बच्चे को दी जाने वाली सेवाओं की स्थिति के संबंध में जानकारी ली गई। इसके उपरान्त आयोग के सदस्यों द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून के संबंध में विस्तार से अधिनियम को बताया गया एवं आग्रह किया गया कि इनके कियान्वयन को संवेदनशीलता के साथ जिला में सुनिश्चित किया जाए।

समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि जिला में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के तहत कुल अच्छादित लाभार्थियों की संख्या और जनसंख्या के आधार पर लगभग 4000 की संख्या का अंतर है। स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया है कि उनके टीकाकरण कार्यक्रम में लगभग सभी गर्भवती महीलाएँ और बच्चे पंजीकृत हैं।

सदस्यों ने दिनांक 19.09.2019 के भ्रमण कार्यक्रम हेतु प्रशासनिक अधिकारियों से विशिष्ट जनजाति समुदाय के गांव/टोले में भ्रमण की योजना बनाने को कहा।

स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि से आयोग की टीम द्वारा आग्रह किया गया कि जिला के सभी विशिष्ट जनजाति परिवार के सभी सदस्यों हेतु स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था की जाए और उनका कम से कम 3 माह में एक बार अवश्य स्वास्थ्य जाँच किया जाए।

समाज कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि पिछले 6 सितम्बर से आंगनबाड़ी सेविकाओं के हड़ताल पर चले जाने के कारण आंगनबाड़ी केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सेवाएं भी बाधित हैं। इस पर आयोग के सदस्य ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में 3–6 साल के छोटे बच्चे को आंगनबाड़ी केन्द्र द्वारा दिया जाने वाला नास्ता एवं गर्म पका पकाया भोजन से वंचित रखना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की धारा 5 (क) का उल्लंघन है एवं इस अवधि में पंजीकृत बच्चे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की धारा 8 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने के हकदार हैं।

जिला अपूर्ति पदाधिकारी को समीक्षा के उपरान्त निर्देश दिया गया कि

1. यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी विशिष्ट जनजाति के परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून–2013 की धारा 3 एवं धारा 30, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का D.O No:- 6(4)/2003-PD-1, दिनांक 3.6.2003 के अन्तर्गत खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अधिसूचना

पता–ई–1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने) हिनू, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

ज्ञापांकः– खा.प्रा.–01/डाकिया स्कीम 7.7/कमांक 1469 राँची, दिनांकः–02.04.2017 का अनुपालन के तहत सभी को अन्त्योदय अन्न योजना के तहत आच्छादित किया गया है एवं कोई परिवार छुटा हुआ नहीं है।

2. चूंकि खाद्य सुरक्षा लागू होने के तुरन्त बाद SECC डाटा एवं समावेशन और अपवर्जन मानक के आधार पर राशन कार्ड निंगत होने के बावजूद सम्भावना है कि कुछ अयोग्य लाभार्थी के पास कार्ड निर्गत हो गया हो। SECC डाटा गणना से अब तक लगभग 7–8 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि में हुए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि अन्तोदय लाभार्थियों की पहचानकर उन्हें झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019 की कंडिका 7 तहत कार्रवाई प्रारम्भ की जाए ताकि अति गरीब और योग्य परिवारों को इसका लाभ मिल सके।

3. जन वितरण प्रणाली के website aahar portal में अंकित कार्ड धारी सदस्य भी जिसमें बहुत से परिवार एकल हैं । आयोग द्वारा इस प्रकार के एकल परिवारों के अध्ययन से यह बात सामने आया है कि एकल परिवार में लगभग 20–25 प्रतिशत एकल परिवार ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ खाद्यान्न या pension उपलब्ध करा देने पर उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाती है। वे खुद से खाना पकाकर खाने की स्थिति में नहीं हैं। अतः ऐसे एकल परिवार की पहचान कर उनके लिए यह सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है :–

a. इन परिवारों का pension (यदि हो तो) हर हाल में इन्हें प्रति माह मिले।
b. इन्हें स्थानीय आंगनबाड़ी अथवा विद्यालय से मिलने वाला मध्याह्न भोजन (गर्म पका पकाया भोजन) से संबध किया जाए ताकि आगंनबाड़ी के दिनों में और विद्यालय के दिनों में कम से कम इन्हे एक समय का खाना अवश्य उपलब्ध हो सके।

दिनांक 19.09.2019

1. भ्रमण स्थल ग्राम लोकाई, प्रखण्ड कोडरमा, जिला कोडरमा

आयोग की टीम को लोकाई ग्राम, प्रखण्ड कोडरमा, जिला कोडरमा ले जाया गया जहाँ विशिष्ट जनजाति समुदाय के परिवार की संख्या सबसे ज्यादा है। भ्रमण के समय गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर लगाई गई थी एवं साथ ही साथ टीकाकरण का कार्यक्रम भी किया जा रहा था। चूंकि आंगन बाड़ी सेविकाएं हड़ताल में थी इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र की जगह टीकाकरण कार्यक्रम गांव के बीच में किया जा रहा था। स्वास्थ्य जांच एवं रिकार्ड व्यवस्था काफी सराहनीय था। पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, सिरप इत्यादि मौजूद थी। फिल्ड में ही यह महसूस किया गया कि विशिष्ट जनजाति समुदाय के परिवारों के लिए एक हेल्थ कार्ड की आवश्यकता है। डाकिया योजना के अर्न्तगत दी जाने वाली राशन के संबंध में पूछताछ की गई। लाभार्थियों ने बताया कि राशन प्रर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से उन्हें मिल जाता है। गांव में एक बोरा प्राप्त अनाज जिसे अब तक खोला नहीं गया था वजन कर देखा गया तो उसमें 35 किला वजन पाया गया अर्थात सही मात्रा में राशन मिल रहा है। हालाकि झारखण्ड सरकार की अधिसूचना के अनुसार उन्हें सिलबन्द पैकेट

पता–ई–1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने) हिनू, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

में अनाज मिलना चाहिए जिसका अनुपालन नहीं हो रहा है। इस पर साथ में चल रहे जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सरकार के नियम और विशिष्ट जनजाति के प्रत्येक परिवार को सीलबन्द पैकेट में ही उचित मात्रा में अनाज मिले।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना

टीकाकरण एवं स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित ANM के पास उपलब्ध पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की सूची लेकर उसका अवलोकन करने पर पता चला कि कुल 5 महिलाएँ वैसी थी जिन्हें प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन किन्हीं को भी प्रधानमंत्री वंदना योजना के अन्तर्गत दिया जाने वाला किस्त में से कोई भी किस्त नहीं मिला था। लाभुकों में पूजा, काजल, रापी से उनका MCP कार्ड लेकर उनका गर्भधारण की संख्या का एवं रजिस्ट्रेशन का सत्यापन किया गया। साथ ही उनसे बात भी की गई तो पता चला कि उन सभी का पंजीयन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है, परन्तु आंगनबाड़ी केंद्र एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा असंवेदनशीलता के कारण किन्हीं को प्रधानमंत्री मातृ वन्दना का लाभ नहीं मिल पाया है जो कि स्पष्टतया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की धारा 4 (ख) का स्पष्ट उल्लंघन है।

ज्ञातव्य हो कि दिनांक 18.09.2019 को समीक्षा के कम में भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना द्वारा अच्छादित लाभुकों की संख्या में अन्तर पाई गई थी।

साथ चल रहे जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी व जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे हर हाल में अगले 2 माह के अन्दर बकाया किस्त की राशि का भुगतान सुनिश्चित करें एवं आगे से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनका पंजीयन फॉर्म ससमय भरवाकर किस्तों की राशि का भुगतान सुनिश्चित करें ।

लोकाई में अवस्थित जन वितरण प्रणाली की दुकान का अवलोकन भी किया गया। दुकान के लाइसेंस धारी रघुनाथ गोस्वामी के दुकान के बाहर ताजा पेंट किया हुआ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ स्टॉक विवरणी दिवाल पर लिखा हुआ था। कार्ड धारियों की सूची (PHH एवं AAY) की सूची चिपकाया हुआ था। साथ ही साथ दुकान के बाहर खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखण्ड द्वारा तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अर्न्तगत विभिन्न कार्ड धारियों को दी जाने वाली सामग्री एवं हकदारियों के संबंध में स्पष्ट सूचना वाला पोस्टर लगाया हुआ था जिसमें विभाग द्वारा अंकित शिकायत निवारण प्रणाली संबंध विवरणी भी अंकित थी।

ग्राम–जियोरायडीहः– प्रखण्ड डोमचांच, पंचायत मसनोडीह, ब्लौक डोमचांच

आंगनबाड़ी केन्द्र, जियोरायडीह

आयोग की टीम ने आंगन बाड़ी केंद्र में चल रहे टीकाकरण कार्यकम का अवलोकन किया। यहां भी ग्राम लोकाई की तरह टीकाकरण कार्यकम ठीक से चल रहा था। पर्याप्त मात्रा में दवाइयां एवं अन्य संसाधन उपलब्ध थे। उपस्थित महिलाओं के MCP कार्ड को देखने एवं पूछताछ से पता चला

पता–ई–1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने) हिनू, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

कि यहाँ भी कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से 5–6 महिलाएं वैसी थी, जिन्हें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पोषण सहायता राशि मिलनी थी लेकिन किन्हीं महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत किसी भी किस्त की राशि नहीं मिला जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 धारा 4 (ख) का स्पष्ट उलंघन है।

आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा दिया जाने वाला गर्म पका पकाया भोजन पिछले 2 माह से बन्द था। THR पिछले 2 माह से बन्द है।

उपरोक्त सभी स्थिति को देखते हुए आयोग ने गहरी चिन्ता जताई एवं यह पाया कि आंगनबाड़ी केंद्र और इसे दी जाने वाली सेवाओं के प्रति समाज कल्याण विभाग को संवेदनशीलता के साथ योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा अन्यथा कुपोषण को कम करने के सरकार द्वारा किए जा रहे सारे प्रयासों के परिणामों पर प्रश्न चिह्न है।

उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय जियोरायडीह

विद्यालय भवन काफी साफ सुथरा एवं व्यवस्थित था। कक्षा में सभी बच्चों के लिए टेबल और बेंच प्राप्त मात्रा में था। प्रधानाध्यापक का कमरा भी काफी साफ सुथरा एवं व्यवस्थित था। मध्याह्न भोजन तैयार करने हेतु अलग से किचन अवस्थित था, जिसमें भ्रमण के दिन का मध्याह्न भोजन तैयार था। खाना की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया काफी अच्छी लगी। खाना परोसने से पूर्व खाना को चख कर देखे जाने की परम्परा का पालन नियमित रूप से किया जाता है जो ''चखना पंजी'' के अवलोकन से स्पष्ट है।

पुनः चखना पंजी के अवलोकन से मालूम चला कि माह फरवरी और मार्च 2019 में चखना पंजी में कुछ भी दर्ज नहीं था। पूछ ताछ करने पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने बताया कि माह फरवरी और मार्च में पारा शिक्षकों की हड़ताल थी। इसलिए इस उक्त अवधि में (फरवरी मार्च 2019) मध्याहन भोजन नहीं दिया गया ।

इस बात की पुष्टि प्रधानाध्यापक महोदय ने भी की। इस दौरान चल रहे जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला आपूर्ति, एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सभी साथ थे। वापसी के क्रम में प्रधानाध्यापक महोदय से खर्च विवरणी के पंजी की मांग की गई तो पाया गया कि जहां एक ओर फरवरी एवं मार्च माह में मध्याह्न भोजन बन्द होने के कारण चखना पंजी का संधारण नहीं किया गया जिसकी पुष्टि स्वयं विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक ने की है, की अवधि के खर्च व्यय विवरनी में दर्ज है, जो कि विरोधाभाषी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़ताल की अवधि के दौरान मध्याह्न भोजन बन्द होने के बावजूद उक्त अवधि की राशि की निकासी कर लिया गया है जो कि स्पष्ट रूप से गबन का मामला बनता है।

1. अतः जिला प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि उक्त अवधि (फरवरी एवं मार्च 2019) को जिला के सभी विद्यालय की चखना पंजी और आय विवरणी पंजी की जांच करा कर तत्काल अनुकूल कारवाई करें।

पता–ई–1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने) हिनू, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

2. उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में पंजीकृत सभी बच्चों को माह फरवरी एवं मार्च 2019 का खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान सुनिश्चित कर, कृत कार्रवाई से आयोग को एक माह के अन्दर प्रतिवेदन दें।

ह0/–
(हलधर महतो)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ह0/–
(उपेन्द्र नारायण उरांव)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः– रा0खा0आ0 (भ्रमण) 12/19– राँची, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/सचिव–खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(नरेश प्रसाद केवट)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः– रा0खा0आ0 (भ्रमण) 12/19– राँची, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय/निदेशक, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण निदेशालय/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निदेशक, मध्याह्न भोजन झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(नरेश प्रसाद केवट)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः– रा0खा0आ0 (भ्रमण) 12/19– 430 राँची, दिनांकः– 01.11.19

प्रतिलिपिः– उपायुक्त/जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला समाज कल्याण पदाधिकारी/सिविल सर्जन, कोडरमा, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नरेश प्रसाद केवट)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Premlata\30-9-19 haldhar sir 12.docx5

पता–ई–1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने) हिनू, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261